पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या-515

2008 की थाना कांड संख्या 154 से उत्पन्न थाना कटोरिया, जिला-बॉका

==========

रिज़वान मियां अज़ीज़ मियां का बेटा ग्राम का निवासी-चिहुतजोर, थाना-कटोरिया, जिला-बांका

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

2014 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 237

2008 की थाना कांड संख्या 154 से उत्पन्न, थाना-कटोरिया जिला-बांका

बाबूलाल यादव स्वर्गीय मुन्सी यादव का पुत्र निवासी गाँव-लाकड़ा, थाना-कटोरिया सुइया ओ. पी., जिला-बांका

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

भारतीय दंड संहिता, 1860-धारा 302/34 और 452-शस्त्र अधिनियम, 1959-धारा 27-आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973-धारा 374 (2)- हत्या और घर में बलपूर्वक प्रवेश एक सामान्य उद्देश्य से किया गया-परिणामस्वरुप आजीवन कारावास की सजा दी गई-फर्दव्यान में मुखवीर द्वारा दर्ज बयान से ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दोषी को मशाल की रोशनी में देखा है जबकि अपने बयान में उसने कहा है कि उसने उन्हे लालटेन और टॉर्च की रोशनी में पहचाना था-अभियोजन द्वारा जाँच की गवाहों की गवाहों से पूर्ण रुप से विरोधाभासों से भरा है जो अपीलकर्ताओं को कथित घटना से जोड़ने में संदेह पैदा करते है-अगर हम अभियुक्तो के आपराधिक दायित्व के लिए किसी घटना के संबंध में थोड़ा सा संदेह पाते है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त व्यक्ति संदेह का लाभ दिए जाने के हकदार है। इस प्रकार अपीलकर्ताओं को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए। दोषसिद्धि और सजा को रद्द किया जाता है। अपील की अनुमति दी गई।

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2014 का आपराधिक अपील (डी. बी.) संख्या-515

2008 की थाना कांड संख्या 154 से उत्पन्न थाना कटोरिया, जिला-बॉका

==========

रिज़वान मियां अज़ीज़ मियां का बेटा ग्राम का निवासी-चिहुतजोर, थाना-कटोरिया, जिला-बांका

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

के साथ

2014 का आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 237

2008 की थाना कांड संख्या 154 से उत्पन्न, थाना-कटोरिया जिला-बांका

बाबूलाल यादव स्वर्गीय मुन्सी यादव का पुत्र निवासी गाँव-लाकड़ा, थाना-कटोरिया सुइया ओ. पी., जिला-बांका

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

बिहार राज्य

.....प्रत्यर्थीगण

==========

उपस्थिति:

(2014 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 515 में)

अपीलार्थी की ओर सेः श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता

मो. नुरुल होदा, अधिवक्ता

श्री राजेश कुमार सिन्हा,

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ताः श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

(2014 के आपराधिक आवेदन (डी. बी.) संख्या 237 में)

अपीलार्थी की ओर सेः श्री विक्रमदेव सिंह, अधिवक्ता

मो. नुरुल होदा, अधिवक्ता,

श्री राजेश कुमार सिंहा अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/ओं के अधिवक्ताः श्री सुजीत कुमार सिंह, सहायक लोक अभियोजक

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चक्रधारी सरन सिंह

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नॉनीत कुमार पांडे

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री नौनीत कुमार पांडे)

दिनांक: 21-07-2023

दोनों अपीलों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत 2011 का सत्र परीक्षण संख्या 126 में विद्वान एडहॉक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बांका द्वारा क्रमशः

28.01.2014 और 05.2014 को पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा के आदेश को दरकिनार करने के लिए प्राथमिकता दी गई है।

2. अपीलार्थी रिज़वान मियां और बाबूलाल यादव दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वत निचली अदालत द्वारा दोषी पाया गया और दोषी ठहराया गया। इसके अलावा, अपीलार्थी रिज़वान मियां को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन पर दस हजार 10, 000/- प्रत्येक रुपये का जुर्माना भी लगाया गया 10, 000/- प्रत्येक को इसके अलावा, अपीलार्थियों को आई. पी. सी. की धारा 452 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। अपीलार्थी रिज़वान मियां को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में, अपीलार्थियों को दो महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना पड़ा। सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था। उसी फैसले और आदेश से, सह-अभियुक्त नरेश यादव, यासीन मियां उर्फ अहसान अंसारी, नारायण यादव, नासिर मियां और रियासत अंसारी को बरी कर दिया गया, क्योंकि विद्वत निचली अदालत की राय में, अभियोजन पक्ष इन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह की छाया से परे साबित करने में विफल रहा।

3. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, शंभू यादव (पीडब्लू-7) मृतक पुत्र ने लगभग 6.05 बजे सुबह 27.09.2008 को सुया पुलिस चौकी के ए. एस. आई. के समक्ष अपना फरदबेयान दर्ज करायाः अपने पिता के शव के पास, जिसमें कहा गया है कि पिछली रात सूचना देने वाला और उसके परिवार के सदस्य अपने घर में सो रहे थे। उसके पिता आंगन में एक खाट पर सो रहे थे। आधी रात को लगभग 1 30 बजेः, सूचना देने वाले ने

अपनी छत (चप्पल) पर कुछ असामान्य आवाज सुनी। उन्होंने दो व्यक्तियों की उपस्थिति देखी, जो मास्क से लैस उनके घर की छत पर मौजूद थे। वे उसके घर के आंगन में कूद गए और धमकी दी कि वे शोर-शराबा नहीं करेंगे, अन्यथा मुखबिर के परिवार के सदस्यों को गोली मार दी जाएगी। उपद्रवियों में से एक ने दरवाजा खोला जिससे कुछ अन्य बदमाश आंगन में घुस गए। मुखबिर ने मशाल की रोशनी में उनकी पहचान की। वे थे (i) रिज़वान मियां (अपीलार्थी) (ii) यासीन मियां (बरी) (iii) रियासत अंसारी (iv) नासिर मियां (बरी) (v) नारायण यादव (बरी) (vi) बाबूलाल यादव (अपीलार्थी) और (vii) नरेश यादव (बरी)। मुखबिर 2-3 उपद्रवियों की पहचान नहीं कर सका। सूचना देने वाले के परिवार के सदस्य डर से उसके घर में एक जगह पर बैठ गए। उपद्रवियों ने मुखबिर के पिता को जबरन एक खाट पर रख दिया और उनके अंगों को बांध दिया। अपीलार्थी रिज़वान मियां ने उस पर गोली चलाई और अपीलार्थी बाबूलाल यादव ने फरसा (धारदार हथियार) से उस पर बार/प्रहार किया और उसके बाद उपद्रवियों ने उसके पिता को बांध दिया और भाग गए। भागते समय, उन्होंने मुखबिर और उसके परिवार के सदस्यों को धमकी दी कि वे मामला दर्ज न करें अन्यथा उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। उसके पिता का शव खाट पर पड़ा हुआ था। यह आगे कहा गया है कि उनके पिता की हत्या का कारण सह-आरोपी नारायण यादव के साथ भूमि विवाद था जो उनके सहयोगी हैं।

4. फरदबेयान (प्रदर्श.1) के आधार पर औपचारिक प्रथम सूचना प्रतिवदेन (प्रदर्श.8) तैयार की गई थी। लगभग 11.30 बजे 27.09.2008 को एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थीः इसके बाद मामले की जांच की गई। अपीलार्थियों के साथ-साथ सह-अभियुक्त नासिर मियां, नारायण यादव, नरेश यादव, यासीन मियां, रियासत अंसारी और रमजान मियां के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 27 सहित आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 452 के तहत संज्ञान लिया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों का मामला सत्र न्यायालय को सौंपा गया था, सिवाय इसके कि सह-अभियुक्त रमजान मियां, देवघर (झारखंड) में एक अलग मामले में

हिरासत में था, और आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित होने की तारीख तक, रमजान मियां को निचली अदालत के समक्ष पेश नहीं किया जा सका, नतीजतन, उसका मामला अलग हो गया। आई. पी. सी. की धारा 302/34 और 452 के तहत रमजान मियां को छोड़कर उपरोक्त सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। अपीलार्थी रिज़वान मियां पर शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी आरोप लगाया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

5. अपना मामला साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों से पूछताछ की है। निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रदर्शित किए गए हैंः

प्रदर्श-1-फर्दबेयान में सुबोध यादव के हस्ताक्षर

प्रदर्श-2 पी.एम. प्रतिवेदन/शव परीक्षण प्रतिवेदन

प्रदर्श-3-पूछताछ रिपोर्ट में शंभू यादव का हस्ताक्षर प्रदर्श 3 पूछताछ प्रतिवेदन में सुनील कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श-4-जब्ती सूची में शंभू यादव के हस्ताक्षर।

प्रदर्श-4/1 जब्ती सूची में सुनील कुमार यादव का हस्ताक्षर

प्रदर्श-5-फरदबेयान

प्रदर्श-6-अग्रेषण रिपोर्ट

प्रदर्श-7-समर्थन

प्रदर्श-8-औपचारिक एफ़. आई. आर./प्रथम सूचना प्रतिवेदन

प्रदर्श-9-पूछताछ रिपोर्ट

प्रदर्श-10-जब्ती सूची

6. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, अभियुक्त व्यक्तियों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत विद्वत निचली अदालत द्वारा पूछताछ की गई ताकि वे उनके खिलाफ मुकदमे के दौरान सामने आई आपत्तिजनक सामग्री को समझ सकें। उन्होंने नकारात्मक प्रश्नों का उत्तर दिया। इसके बाद, विद्वान निचली अदालत, अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर और दलीलें सुनने के बाद, निष्कर्ष पर पहुंची, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

7. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए जांचे गए गवाहों के साक्ष्यों में भौतिक विरोधाभास है। उन्होंने आगे कहा है कि मुखबिर शंभू यादव (पीडब्लू-7) ने अपने फरदबेयान में उल्लेख किया है कि उन्होंने मशाल के प्रकाश में दोषियों सहित आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है, जबकि अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों ने कहा है कि उन्होंने लालटेन के प्रकाश में आरोपी व्यक्तियों की पहचान की है। अकेले इस मामले में, बचाव पक्ष घटना की सत्यता के साथ-साथ गवाहों के बयानों पर संदेह पैदा करने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा है कि यदि घटना के बारे में थोड़ा सा भी संदेह पैदा किया जाता है, तो आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए था।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील का आगे निवेदन यह है कि, हालांकि गवाहों ने कहा है कि अपीलार्थी रिज़वान मियां ने मृतक पर गोली चलाई और अपीलार्थी बाबूलाल यादव ने मृतक के व्यक्ति पर फरसा/भुजाली प्रहार किए, लेकिन आई. ओ. को मृतक के कपड़ों पर और न ही उस खाट पर खून का धब्बा मिला, जिस पर मृतक को मार दिया गया आई. ओ. (पीडब्लू-8) ने अपने बयान के कंडिका-12 में कहा है कि उसने मृतक के कपड़ों पर कोई खून का धब्बा नहीं देखा, न ही उसने गोली छुटने का निशान देखा, जबकि मृतक ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने घटना के समय पहने थे। बयान के कंडिका-8 में इस गवाह ने कहा है

कि उसने शव को एक खाट पर पड़ा पाया, लेकिन उसने यह उल्लेख नहीं किया कि उस खाट पर खून का कोई धब्बा था या नहीं, जहां मृतक लेटा हुआ था। कंडिका-5 में उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना स्थल से खून से लथपथ मिट्टी को जब्त कर लिया था, लेकिन यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि खून से लथपथ मिट्टी को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि गवाहों के बयानों में यह सामने आया है कि अपीलार्थी रिज़वान मियां ने मृतक के व्यक्ति पर दो गोलियां चलाई थीं, लेकिन उसके व्यक्ति पर केवल एक आग्नेयास्त्र की चोट पाई गई थी।

9. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील का आगे निवेदन यह है कि घटना कथित रूप से 1.20 ए.एम.शव परीक्षण उसी दिन यानी 27.09.2008 को 27.09.2008 को 1.30 बजे ए.एम. हुई हैः लगभग 10.45 पी एम. बजे किया गया था, लेकिन डॉक्टर (पी. डब्ल्यू.-6), जिन्होंने शव का पोस्टमॉर्टम किया था, ने उल्लेख किया है कि मृत्यु के 48 घंटे बीत चुके हैं, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले के साथ-साथ स्वयं शव परीक्षण पर भी संदेह पैदा होता है। विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के बीच भूमि विवाद है और यह अपीलार्थियों सहित अभियुक्त व्यक्तियों के झूठे निहितार्थ का कारण था।

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि गवाह अपने बयान में सर्वसम्मत हैं कि रिज़वान मियां (अपीलार्थी) ने मृतक पर गोली चलाई और बाबूलाल यादव (अपीलार्थी) ने मृतक के व्यक्ति पर फरसा (धारदार हथियार) से वार किया, जिसकी पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य से होती है। मृतक व्यक्ति पर आग्नेयास्त्र की चोट और कट की चोट पाई गई। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक का सिर उसके शरीर से आंशिक रूप से अलग किया गया था।

11. हमने विद्वान वकीलों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचारपूर्वक विचार किया है और वृत्तचित्र के साथ-साथ मौखिक साक्ष्यों को भी ध्यान से देखा है।

12. पीडब्लू-7 सूचना देने वाला है, जो मृतक का पुत्र है, हालांकि उसकी जाँच-पड़ताल में प्रमुखने इस घटना का समर्थन किया है जैसा कि उसके फरदबेयान में उल्लेख किया गया है, उसने कहा है कि सबसे पहले, दो व्यक्ति उसके आंगन में घुसे, उन्होंने दरवाजा खोला और उसके बाद 7 से 8 बदमाश वहां आए। रिज़वान मियां मास्क पहने हुए थे। सह-अभियुक्त सत्य नारायण, बाबूलाल (अपीलार्थी), नरेश यादव, यासीन मियां और नासिर मियां वहाँ आए। उस समय, एक लालटेन रोशन हो रही थी और आरोपी व्यक्ति भी मशाल जला रहे थे। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल ने उनके पिता की गर्दन पर फरसा प्रहार किया था। इस गवाह ने फरदबेयान पर अपने हस्ताक्षर और अपने भाई के हस्ताक्षर की पहचान की जिसे प्रदर्श.2 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट की कार्बन कॉपी पर सुनील कुमार यादव के हस्ताक्षर की भी पहचान की। उन्होंने खुद और सुनील कुमार यादव ने जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अतिरिक्त के रूप में चिह्नित किया गया है। क्रमशः 3 और 3/1। अपने बयान के कंडिका-14 में, इस गवाह ने कहा है कि मशाल या लालटेन, जिसके आलोक में आरोपी व्यक्तियों की पहचान की गई थी, जांच प्राधिकरण को नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा है कि अपीलार्थी बाबूलाल के साथ उनका भूमि विवाद था। पीडब्लू-2 सुबोध यादव मृतक का पुत्र है। हालाँकि, उन्होंने पीडब्लू-6 की तरह ही घटना का समर्थन किया है, लेकिन अपने बयान के कंडिका-9 में, यह गवाह आरोपी व्यक्तियों और उनके परिवार के बीच भूमि विवाद के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करता है। अपने बयान के कंडिका-19 में, इस गवाह ने कहा है कि उसके पिता को बंदूक से छह चोटें आई थीं, जो चिकित्सा साक्ष्य के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों पी.डब्लू-4 जो मृत्क की बहु है के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है। हालाँकि वह खुद को घटना की चश्मदीद गवाह होने का दावा करती है, लेकिन अपने बयान के कंडिका-19 में उसने भूमि विवाद के बारे में अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की है, जबकि मुखबिर पीडब्लू-7 ने अपने बयान में विशेष रूप से कहा है कि अपीलकर्ता बाबूलाल और उसके बीच भूमि विवाद था।

13. इस प्रकार, हम देखते हैं कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों के बयान विरोधाभासों से भरे हुए हैं जो अपीलार्थियों को कथित घटना से जोड़ने में संदेह पैदा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभियोजन पक्ष के मामले में संदेह पैदा कर रही है, वह है जांच अधिकारी (पीडब्लू-8) का बयान। उन्होंने मृतक के कपड़ों पर खून के धब्बों का उल्लेख नहीं किया, जबकि उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि मृतक ने वही कपड़े पहने थे जो उसने घटना के समय पहने थे। बयान के कंडिका-8 में, इस गवाह ने कहा है कि उसने शव को एक खाट पर पड़ा पाया, लेकिन उसने यह उल्लेख नहीं किया कि उस खाट पर कोई खून का धब्बा था या नहीं, जहां मृतक लेटा हुआ था, वह मौजूद था या नहीं। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि किसी अभियुक्त के आपराधिक दायित्व की घटना के संबंध में थोड़ा भी संदेह पैदा किया जाता है, संदेह मामले की जड़ तक जाएगा और अभियुक्त व्यक्तियों को संदेह का लाभ दिए जाने का अधिकार है। पीडब्लू-7, मुखबिर ने अपने फ़र्दबेयान में कहा है कि उसने मशाल के प्रकाश में अपराधी, को देखा था, जबकि अपने बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने लालटेन और मशाल के प्रकाश में उनकी पहचान की है। इसके अलावा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मशाल और लालटेन जांच प्राधिकारी को नहीं सौंपी थी।

14. उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थियों को संदेह का लाभ दिया जाना चाहिए।

15. तदनुसार, 2011 के सत्र परीक्षण संख्या 126 में विद्वत एडहॉक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बांका द्वारा पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश को निरस्त कर दिया गया है।

16. तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।

17. अपीलार्थी जेल हिरासत में हैं। यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

(नवनीत कुमार पांडे, न्यायमूर्ति)

मैं सहमत हूँ।

चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति

(चक्रधारी शरण सिंह, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।